झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

3876
11/5/16

:: संकल्प ::

चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री कमल किशोर रवि, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक–397/03, गृह जिला–सिंहभूम), के अपर समाहर्त्ता, पलामू के पद पर कार्यावधि में मे0 उषा मार्टिन प्रा0लि0 कठौतिया कोल ब्लॉक परियोजना के लिए जमीन खरीदगी प्रक्रिया में व्यापक हेराफेरी कर राजस्व नुकसान पहुँचाने संबंधी आरोप, जैसा कि आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर के पत्रांक–125/गो0, दिनांक–28.10.2015 के माध्यम से प्राप्त प्रपत्र–'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्र– 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री रवि को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री रवि द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल, श्री एहतेशामुल हक, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी. गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, पलामू को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री कमल किशोर रवि सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 एवं श्री एहतेशामुल हक, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

11.5.16
(दिलीप तिर्की)
सरकार के उप सचिव।

3876

ज्ञापांक–5/आरोप–1–79/2015 का० ..../राँची, दिनांक ....11..... मई, 2016

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को राजकीय, गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

11.5.16
सरकार के उप सचिव।